मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–2/2009/1–9 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश।

विषय :– शासकीय सेवकों को गोपनीय प्रतिवेदनों का प्रकटन किये जाने के संबंध में।
संदर्भ :– विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/98/9/एक दिनांक 13 जनवरी, 1999.

विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञाप से शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन अभिलिखित किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देशक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धान्त के आलोक में राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के समस्त सेवा संवर्ग, जो कि पदोन्नति नियम 2002 के नियम 4 (2) में वर्णित है, (प्रथम श्रेणी के अधिकारी) के सम्बन्ध में गोपनीय प्रतिवेदनों के प्रकटीकरण की प्रणाली लागू करता है। यह प्रणाली इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगी। इस प्रकार इसे 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि और इससे आगे के वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में प्रभावशाली माना जायेगा।

2. उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने की समय–सारणी वही रहेगी, जो सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग–एक–7 और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/98/9/एक दिनांक 13 जनवरी, 1999 द्वारा निर्धारित की गई है। तथापि सम्बन्धित शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक फार्म उपलब्ध कराये जायेंगे। स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून एवं सभी स्तरों से मतांकन पूर्ण किये जाने के लिए अंतिम तिथि 30 सितम्बर रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी प्रत्येक के लिए एक माह की समय–सीमा होगी। उक्त समय–सीमा दिनांक 30 सितम्बर के पश्चात् दर्ज होने वाले मतांकन को

समय बाधित माना जायेगा और तदाश्य की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जायेगी। यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन ही उसके निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून, तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे भी समय बाधित माना जायेगा और तदाश्य की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर आंकित की जायेगी और प्रतिवेदक अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन बिना स्वमूल्यांकन कर लिखेंगे। यदि अधिकारी/कर्मचारी ने तो अपना स्वमूल्यांकन समय पर प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु उस पर चैनल अनुसार किसी भी स्तर पर मतांकन अंतिम तिथि अर्थात् 30 सितम्बर तक नहीं हो पाया है तो इसके पश्चात् कोई भी टिप्पणियां अभिलिखित नहीं की जा सकेगी और ऐसी स्थिति में इन स्तरों के मूल्यांकन को समय बाधित माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के समग्र अभिलेख और सम्बन्धित वर्ष के स्वमूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

3. यह व्यवस्था, सिविल अपील क्रमांक 7631/2002 में हुए निर्णय दिनांक 12 मई, 2008 की तिथि के बाद के वर्षो में लिखे गये गोपनीय प्रतिवेदनों के लिए भी लागू मानी जायेगी, किन्तु वर्ष 2008 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदन सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के मांगे जाने पर ही उन्हें प्रकटित किये जायेंगे।

4. अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आगामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष (31 मार्च की अवधि तक) के लिखे जाने वाले गोपनीय प्रतिवेदन इस परिपत्र में निर्धारित अंतिम समय–सीमा दिनांक 30 सितम्बर तक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के पास पंहुच जाने चाहिए। गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा वार्षिक चरित्रावली कर प्रमाणित फोटोप्रति सम्बन्धित शासकीय सेवक को एक माह की अवधि में प्रकटित की जायेगी। प्रकटन (प्राप्ति) की तिथि से एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रतिवेदित अधिकारी मतांकन से सहमत न होने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तथा श्रेणी के उन्नयन के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। समयावधि में अभ्यावेदन न प्रस्तुत न करने की दशा में वार्षिक चरित्रावली अंतिम मान ली जायेगी। सक्षम अधिकारी को तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषित करते हुए

अर्द्ध न्यायिक तरीके से अभ्यावेदन का निराकरण अभ्यावेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर करना होगा। यदि वार्षिक प्रतिवेदनों में श्रेणी का उन्नयन किया जाता है तो उसके लिए कारण भी अंकित किये जायेंगे।

5. गोपनीय प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सामान्य पुस्तक परिपत्र और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों में उल्लेखित अन्य व्यवस्थाएं यथावत् लागू रहेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 5–2/2009/1–9 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई, 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ;
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ;
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक मध्यप्रदेश भोपाल ;
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ;
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ;
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल ;
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल ;
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ;
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ;
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ;
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर ;
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ;
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ;
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ;
15. अध्यक्ष, समस्त मान्यता प्राप्त संघ, मध्यप्रदेश ;

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग